<u>माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निर्देशों के अनुपालन में</u>

<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)</u>

1. कृष्ण कुमार शर्मा : राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक
2. मुकुल

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या :	580/2025 (सी.आई.एस. नं. 610/2025) 581/2025 (सी.आई.एस. नं. 611/2025)
आदेश दिनांक :	**01.12.2025**
आदेश का प्रकार : (अ) जमानत अस्वीकृत (ब) दोषसिद्धि/अपील अस्वीकृत (स) दोषमुक्ति से पलट कर दोषसिद्धि	**जमानत अस्वीकृत**

अभियुक्त/आवेदक को सूचित किया जाता है कि वह इस न्यायालय आदेश के विरुद्ध उपचार प्राप्त करने हेतु निःशुल्क विधिक सेवा निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त कर सकता है :-

ताल्लुका विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति (न्यायालय में स्थित) :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति**
विधिक सेवा समिति का पता :	**उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर (राज.)**
फोन नम्बर :	**0141-2227481**
टोल फ्री नम्बर :	**9928900900**
हैल्प लाइन नम्बर :	**15100**

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : केशव कौशिक, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 580/2025 (सी.आई.एस. संख्या 610/2025)

कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेश चन्द शर्मा, आयु 28 साल, निवासी दाहिना गांव, थाना गहनोली मोड़, हाल जी-21, यूडीवी अपार्टमेंट, शिवदासपुरा, जयपुर (राज.)

----- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अप्रार्थी/अभियोगी

(2) जमानत प्रार्थनापत्र संख्या : 581/2025 (सी.आई.एस. संख्या 611/2025)

मुकुल पुत्र देवेन्द्र, आयु 32 साल, निवासी रनधीरगढ़, थाना भुसावर, जिला भरतपुर (राज.)

----- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये लोक अभियोजक, भरतपुर

----- अप्रार्थी/अभियोगी

जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, बमुकदमा एफ.आई.आर. संख्या 703/2025, अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019, धारा 3, 4 इनामी चिट फण्ड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम, 1978 एवं धारा 318(4), 112(2) बी.एन.एस., पुलिस थाना मथुरा गेट, जिला भरतपुर

उपस्थिति :-

1. श्री प्रतीक श्रीवास्तव, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा।
2. श्री जमुना प्रसाद शर्मा, विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल।
3. श्री नरेश चन्द, विद्वान् लोक अभियोजक।
4. श्री पंकज यादव, अनुसंधान अधिकारी।

आ दे श **दिनांक : 01.12.2025**

1. प्रार्थी/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार शर्मा एवं मुकुल की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत पृथक्-पृथक् जमानत प्रार्थनापत्र पेश किए गए, जिनकी नकल विद्वान् लोक अभियोजक को दिलाई जाकर केस डायरी तलब की गई एवं बहस जमानत प्रार्थनापत्र सुनी गई। उक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण इन दोनों प्रार्थनापत्र का एक ही आदेश द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. विद्वान् अधिवक्तागण प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से बहस की गई कि प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का अपराध से कोई संबंध नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पुलिस द्वारा कुछ निवेशकों को गवाह बनाया गया है और कुछ निवेशकों को मुलजिम बना दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण निवेशक हैं, जिन्हें मुलजिम बनाने जैसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण का उक्त वेबसाइट एवं एप से कोई लेना-देना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ज्यादा से ज्यादा पीड़ित हो सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसने यह कहा हो कि उसने प्रार्थी/अभियुक्तगण को पैसा दिया या प्रार्थी/अभियुक्तगण ने उसका पैसा नहीं लौटाया। उनका तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का अपराध में क्या रोल है, यह भी स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल को सह-आरोपी अतुल का cousin brother होना गुनाह नहीं है। पुलिस द्वारा मुख्य आरोपीगण से कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

विद्वान् अधिवक्तागण का यह भी तर्क रहा है कि पुलिस द्वारा केवल कयास के आधार पर अनुसंधान किया जा रहा है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण, जो कि निवेशक हैं, उन्हें मुख्य आरोपी बताकर अनुसंधान किया जा रहा है, जबकि पुलिस के पास उनके विरुद्ध कोई ठोस आधार नहीं है। केवल कयास के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि इसमें निवेशकों के साथ छल होगा। जिन जेवरात को जब्त किया गया है, वे शादी के लिए तैयार करवाए गए हैं, जिनका अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। उक्त जेवर 50-60 लाख रुपये कीमत के हैं जो पिता ने तैयार करवाए हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण कई दिनों से अभिरक्षा में हैं। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जावे।

3. विद्वान् लोक अभियोजक ने उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा अनुसंधान अधिकारी से निर्देश प्राप्त कर प्रकट किया कि प्रारम्भिक जांच में यह सामने आया है कि फॉरेक्स सीएफडी एवं क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर XPO.RU वेबसाइट एवं एप के जरिये लोगों को उत्प्रेरित कर धनराशि एकत्रित की जा रही है। उक्त वेबसाइट के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि वह भारत में किसी भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है, जिस कारण विधि अनुसार वह भारत में इस तरह से धनराशि एकत्रित नहीं कर सकती है। उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त वेबसाइट प्रतिमाह 1 लाख से अधिक लोगों द्वारा एक्सेस की जाती है, जिनमें से 99 प्रतिशत लोग भारत के ही हैं, जबकि भारत में उक्त कम्पनी रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन के भारत में आर्थिक व्यापार करना, धन इकट्ठा करना तथा धनराशि वापस अदा नहीं करना अपराध है।

उनका यह भी तर्क रहा है कि उक्त कम्पनी को रूस की कम्पनी होना बताया गया है, परन्तु इसे अंकित अग्रवाल छद्म नाम से जयपुर से चला रहा है, जिसमें सह-आरोपी संदीप सिगर भी शामिल है जो वर्तमान में जयपुर में रहता है और कुछ समय से दुबई में है। अंकित अग्रवाल इस वेबसाइट का डवलपर है। अनुसंधान के दौरान आरोपीगण द्वारा 3100 करोड़ रुपये की ठगी करना सामने आया है एवं अनुसंधान के दौरान इन्वेस्टर्स के ई-मेल आईडी भी प्राप्त किए गए हैं तथा कुछ लोगों ने वेबसाइट/एप पर अपने आधारकार्ड, आईडी कार्ड से केवाईसी से भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उक्त वेबसाइट सन् 2016 से अस्तित्व में होना क्लेम करती है, परन्तु वास्तव में वह सन् 2022 से कार्य कर रही है। वेबसाइट पर पहले 5,000 लोग प्रतिमाह रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन अब 1 लाख लोग प्रतिमाह रजिस्टर्ड हो रहे हैं। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल, तथाकथित सह-आरोपी अतुल शर्मा का cousin brother है जो मुख्य प्रमोटर है और इनके इन्वेस्टमेंट शाखा है उसने लोन लेकर 8 लाख रुपये लगाए। उन्होंने आरोपीगण के फोन का अवलोकन किया है एवं तब उसे मुलजिम बनाया है। अतुल शर्मा भरतपुर का है जो जयपुर में रहता है और यही मुख्य आरोपी है जो कृष्ण कुमार का cousin brother व मुकुल का भाई है। उनका यह भी तर्क रहा है कि इस अपराध के संबंध में झूंझनूं, बीकानेर व जोधपुर से भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा इसका स्कोप महाराष्ट्र में भी है, परन्तु सबसे ज्यादा स्कोप राजस्थान में है। इसमें एक्सचेंजर सह-आरोपी राकेश का नाम आया है, जिसके बिटकॉइन 1 करोड़ ट्रांजेक्शन हैं, जिसे अतुल शर्मा यूएस की क्रिप्टो करेंसी देता था, जिसके ट्रांजेक्शन वॉलेट में मौजूद मिले हैं, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपये है। यह कम्पनी चिटफण्ड की तरह है, जिसके असेट्स, करेंसी, बैंक आदि कुछ भी नहीं है। ऐसे मामलों में बिना रजिस्ट्रेशन के डिपोजिट लेना ही अपराध है।

उनका यह भी तर्क है कि उक्त वेबसाइट व एप के जरिये झूठ फैलाकर राशि प्राप्त की जा रही है। कम्पनी को रसियन एक्सपर्ट होना बताया जा रहा है, परन्तु वह एक्सपर्ट नहीं है। अभी तक के अनुसंधान में यह सामने आया है कि निवेशकों का पैसा बढ़ नहीं रहा है, बल्कि उनके बीच घुमाया जा रहा है। जैसे ही उनका मुनाफा नीचे आएगा, यह कम्पनी quit कर जाएगी। मुकुल, आरोपी अतुल का भाई है और कृष्ण कुमार का cousin brother है। अन्य आरोपीगण की तलाश जारी है, जिन्हें गिरफ्तार कर अनुसंधान करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रकरण में लोगों से भारी मुनाफा दिलाने के नाम पर 3100 करोड़ रुपये का छल करना सामने आया है। यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण को ऐसे प्रकरण में जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे प्रकरण के महत्त्वपूर्ण गवाहों को डरा-धमकाकर प्रभावित कर सकते हैं, जिससे प्रकरण के गुणावगुण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अत: प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

4. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा केस डायरी का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.11.2025 को होतम सिंह, उप-निरीक्षक को मुखबिर खास से सूचना मिलने पर जानकारी में आया कि XPO.RU नामक वेबसाइट व मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आम जनता को निवेश के नाम पर उच्च लाभ एवं बोनस का लालच देकर धनराशि एकत्र की जा रही है। एप्लीकेशन में लोगों को रैफर एण्ड अर्न रोजाना/हफ्ते में ज्यादा ब्याज तथा सदस्य बढ़ाने पर इनाम जैसी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया, जिनमें मुख्यतः रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार, मोबाइल नम्बर 7568811177, 8690060119, ईश्वर वर्मा मोबाइल नम्बर 9529310840, मंगलेश कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9785984745, सुरेन्द्र सैनी मोबाइल नम्बर 7690800176, शाहरुख खान मोबाइल नम्बर 9983460418, सुरेन्द्र बरवार मोबाइल नम्बर 9530006300, अतुल शर्मा मोबाइल नम्बर 9828467615, नरेन्द्र डागुर 9414878141, सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9799850099 एवं उनके अन्य साथियों द्वारा यह स्कीम लोगों को जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का साधन बिना किसी जोखिम के बताते हैं जो सोशल मीडिया पर भी प्रचार-प्रसार भी एक संगठित गिरोह के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी प्रारम्भिक जांच से यह पाया गया कि यह एप्लीकेशन न तो भारत में SEBI या RBI या MCA या किसी भी सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत है, न ही किसी विनियमित जमा योजना (Regulated Deposit Scheme) के तहत कार्यरत है। यह एप्लीकेशन अनियमित जमा योजना (unregulated Deposit Scheme) के अंतर्गत जनता से धन संग्रह कर रही है और धोखाधड़ी कर राशि हड़प रही है, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर पर एफ.आई.आर. संख्या 703/2025, अपराध अंतर्गत धारा 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019, धारा 3, 4 इनामी चिट फण्ड एवं धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 तथा धारा 318(4), 112)2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

5. दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए, प्रश्नगत वेबसाइट XPO.RU पर वेब ब्राउजर से एक्सेस किया गया एवं उसकी कॉपी व धारा 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि वेबसाइट पर फॉरेक्स सीएफडी व क्रिप्टो करेंसी के म्युचुअल के इण्डेक्स फण्ड में एक्सपर्ट द्वारा निवेश की स्कीम के बारे में बताया जाना तथा उसके 47 लाख से अधिक एक्टिव क्लाइंट होना तथा 4.3 बिलियन डॉलर के फण्ड का ट्रेड होना और 2.3 बिलियन पार्टनर द्वारा कमाया जाना बताया गया। उसके ट्रेडिंग पार्टनर इटोरो, एमक्रेकन, 3कॉमास, एफएक्ससीएम, हॉबी आदि बताए गए। कम्पनी को सेन्ट्रल यूरोपियन स्टार्टअप अवार्ड 2021 मिलना एवं कम्पनी द्वारा 1.3 ट्रिलियन एसेट मैनेज करना बताया।

6. अनुसंधान के दौरान यह भी पाया गया कि यह फण्ड पिछले 5 साल से चलना एवं 22 से अधिक इण्डेक्स मैनेजर होना, उक्त करेंसी पेयर, ग्लोबल स्टॉक, मैटल, एनर्जी, क्रिप्टो करेंसी व एनएफटी में ट्रेड करना बताया था तथा टीम मैम्बर विदेशी होना दर्शाया गया था। उक्त कम्पनी का ऑफिस मास्को, रूस में दर्शित करते हुए गूगल प्ले स्टोर पर XPO.RU की एप होना दर्शाया गया। वेब पेज के अन्त में कम्पनी को ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड पर रजिस्ट्रेशन आईडी 2129747 से रजिस्टर्ड होना तथा अन्य रजिस्ट्रेशन बैलिजी व मवाली (मोहेली) में होना बताया। कम्पनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन सेबी/आरबीआई या अन्य भारतीय फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी के पास नहीं होना पाया गया। वेबसाइट का ट्रैफिक एस.ई.रैंकिंग.कॉम पर चैक करने पर पाया गया कि उक्त वेबसाइट को प्रतिमाह 1,05,000 लोगों द्वारा एक्सेस किया जाता है, जिसमें से करीब 99 प्रतिशत लोग भारत के ही रहने वाले हैं। इस प्रकार उक्त वेबसाइट विदेशी लोगों द्वारा प्रयोग में नहीं लेना पाया गया। XPO.RU का डोमेन का आई.पी. डी.एन.एस. चैक करने पर 50.28.11.29 होना पाया गया जो लिक्विड वेब पर रजिस्टर्ड थी। इस प्रकार अनुसंधान से XPO.RU वेबसाइट पूर्ण रूप से अवैध व फर्जी होना पाया।

7. अनुसंधान के दौरान आरोपीगण अतुल कुमार, मुकुल कुमार, कृष्ण कुमार शर्मा को निरुद्ध कर अनुसंधान किया गया तो उनके पास XPO.RU से संबंधित कोई लाइसेंस या अन्य कोई दस्तावेज नहीं होना पाया गया। आरोपीगण के पास मिले मोबाइलों को चैक करने पर व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन व मेम्बर होना तथा XPO.RU पर लोगों के पैसे लगवाने के कैश और यूएसडीटी की चैट पाई गई तथा गैलरी में अतुल कुमार शर्मा के लाइव प्रमोशन इवेन्ट का पोस्टर मिला। प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल की प्रिंस भाटी मोबाइल नम्बर 917877030832 से चैट मिली, जिसमें अनेक लोगों से XPO.RU नामक फ्रॉड के लिए पैसे कैश में कलैक्शन करना, वेबसाइट पर वॉलेट में डालना, क्रिप्टो करेंसी खरीदना, कई लोगों को XPO प्रमोट करने एवं अनेक XPO चैट ग्रुप का मैम्बर होना पाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा के मोबाइलों में व्हाट्सएप पर अनेक XPO के ग्रुप में एक चैट में जो XPO टाइगर टीम भरतपुर ग्रुप पर डाल रहा है कि जब कम रिटर्न मिल रहा था और यूजर ने अतुल शर्मा से कहा तो अतुल कुमार शर्मा ने उसे ब्लॉक कर दिया। अन्य कई चैट में प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार XPO के वेबीनार लिंक भेजना पाया गया एवं कैश और यूएसडीटी की चैट पाई गई। लिहाजा, प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया।

8. अनुसंधान के दौरान आरोपी अतुल कुमार एवं प्रार्थी/अभियुक्तगण की वाहनों, लेपटॉप, डायरियां, जेवरात, 42,800/- रुपये आदि जब्त किए गए। प्रार्थी/अभियुक्त के पास नोट गिनने की मशीन आदि बरामद किए गए। प्रकरण में सह-आरोपीगण की संलिप्तता पाए जाने पर सह-आरोपी राकेश कुमार शर्मा के मोबाइल का विश्लेषण किया गया, जिसके ट्रांसलिंक वॉलेट

में यूएसडीटी वॉलेट में काफी मात्रा में ट्रांजेक्शन पाए गए एवं यह पाया गया कि उसके पास XPO.RU से संबंधित कोई लाइसेंस व दस्तावेज नहीं पाए गए। उक्त आरोपी से 18.90 लाख रुपये, सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए गए। इसी प्रकार सह-आरोपी उमराव मल के मोबाइल में भी व्हाट्सएप XPO.RU ग्रुप होना पाया गया, जिसका प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए किया गया। साथ ही उसके कब्जे से 30 लाख रुपये नकद व सोने-चांदी के जेवरात, मसर्डीज व महिन्द्रा एक्सयूवी वाहन बरामद किए गए। इसके साथ ही, XPO.RU के डेटाबेस एक्सेस होने के कारण एडमिन पैनल एक्सेस करने पर यह भी सामने आया कि XPO.RU पर 4,74,800 आईडी बनी हुई हैं, जिनमें से 3,22,093 आईडी केवाईसी अप्रूव्ड हैं तथा उसका कुल पोर्टफोलियो 51,66,73,274 डॉलर (करीब 4500 करोड़ रुपये) तथा कुल डिपोजिट 34,50,26,247 डॉलर (करीब 3100 करोड़ रुपये) है, जिसमें से 13,23,96,459 डॉलर (करीब 1200 करोड़ रुपये) विद्ड्रॉल लिया गया है। इस प्रकार, प्रार्थी/अभियुक्तगण एवं सह-आरोपीगण द्वारा XPO.RU वेबसाइट व एप के माध्यम से आमजन से भारी मात्रा में राशि वसूल करना पाया गया।

9. हस्तगत प्रकरण में XPO.RU वेबसाइट व मोबाइल एप के जरिये निवेशकों को उच्च लाभ एवं बोनस का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र करना बताया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सामने आए आरोपीगण में प्रार्थी/अभियुक्तगण का नाम भी सामने आया है। बहस के दौरान प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि XPO.RU भारत में किसी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में, प्रथम-दृष्ट्या उक्त XPO.RU कम्पनी द्वारा भारत में निवेशकों से जमा योजनाओं के तहत धनराशि एकत्रित करना अपराध में श्रेणी में आता है। उक्त कम्पनी का करेंसी पेयर, ग्लोबल स्टॉक, मैटल, एनर्जी, क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी में ट्रेड करना बताया गया है, परन्तु अनुसंधान के दौरान ऐसा ट्रेड करना साबित नहीं हो सका है तथा उक्त वेबसाइट व एप के जरिये एक्सेस करने वालों में अधिकतम सदस्य भारत के ही होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्तगण ने बहस के दौरान स्वयं को निवेशक होना बताया है, परन्तु केस डायरी पर मौजूद दस्तावेजात से प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल के मोबाइल में कैश कलैक्शन करना, वेबसाइट पर वॉलेट में डालना एवं क्रिप्टो करेंसी क्रय करना, XPO.RU को प्रमोट करना पाया गया है तथा इसी प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा द्वारा भी वेबीनार के लिए प्रमोशन करना व यूएसडीटी व कैश संबंधी चैट करना पाया गया है। यहां तक कि प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा के पास नोट गिनने की मशीन भी मिली है, जिससे प्रथम-दृष्ट्या यह प्रकट होता है कि उसके द्वारा बड़ी मात्रा में कैश कलैक्शन किया जाता था। XPO.RU के डेटाबेस से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उक्त वेबसाइट पर कुल 4,74,800 आईडी बनी हुई हैं, जिनमें से 3,22,093 आईडी, केवाईसी अप्रूव्ड हैं तथा उक्त

कम्पनी का पोर्टफोलियो करीब 3100 करोड़ रुपये है, जिसमें से 13,23,96,459 करोड़ डॉलर (करीब 1200 करोड़ रुपये) का विद्ड्रॉल लिया गया है तथा इस प्रकार उक्त XPO.RU के जरिये 3100 करोड़ रुपये का छलपूर्वक धोखाधड़ी करना पाया गया है।

10. प्रार्थी/अभियुक्तगण के मोबाइलों का विश्लेषण करने पर उसमें अनेक लोगों से XPO के लिए नकद राशि का कलैक्शन कर वेबसाइट के वॉलेट में डालना एवं उसके जरिये क्रिप्टो करेंसी खरीदना पाया गया है। अपराध में सम्मिलित आरोपीगण द्वारा बड़े इन्वेस्टर्स व प्रमोटर्स को अधिक से अधिक फण्ड जमा कराने का टार्गेट देकर उन्हें विदेश भ्रमण का लालच दिया गया है। केस डायरी से यह भी प्रकट होता है कि दिनांक 22.08.2025 को पुलिस थाना विद्याधर नगर, जयपुर सिटी (उत्तर) पर एफ.आई.आर. संख्या 375/2025 दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोपीगण रजत शर्मा व मंगलेश शर्मा द्वारा XPO के तहत निवेश के संबंध में दर्ज कराई गई है एवं उक्त वेबसाइट पर 100 प्रतिशत यूजर ट्रेफिक भारतीय होना और कम्पनी का रजिस्ट्रेशन दिनांक 13.11.2018 से 13.11.2025 तक होना तथा दिनांक 13.11.2025 के बाद वेबसाइट का एड्रेस सक्रिय नहीं रहना अंकित करते हुए 1,70,000 लोगों से निवेश करवाकर वित्तीय धोखाधड़ी करने संबंधी विस्तृत् रूप से आक्षेप लगाए गए हैं। केस डायरी से यह भी प्रकट होता है कि XPO कम्पनी में पोर्टफोलियों के हिसाब से राशि इन्वेस्ट करवाई जाती थी, जिनका लॉकइन पीरियड भी 12 से 90 माह के लिए रहता है। इन्वेस्टर्स को प्रत्येक सप्ताह लाभांश दिया जाता है तथा इन्वेस्टर्स द्वारा मध्यावधि भुगतान प्राप्त करने पर 30-35 प्रतिशत राशि काटकर ही शेष राशि रिफण्ड की जाती है। उक्त XPO.RU पर करीब 4 लाख 74 हजार 800 लोगों की आईडी बनी हुई हैं, जिनमें से 322093 आईडी केवाईसी अप्रूव्ड भी हैं। इस प्रकार, केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण एवं सह-आरोपीगण द्वारा लोगों को छलपूर्वक बड़ी-बड़ी राशि इन्वेस्ट करने एवं उन्हें बड़े लाभ देने का प्रलोभन देकर प्रोत्साहित कर उनसे करीब 3100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है जो राशि अनुसंधान अधिकारी के अनुसार इससे भी कहीं अधिक हो सकती है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा संगठित साइबर अपराध करते हुए आमजन के साथ धोखाधड़ी कर देश की आर्थिक स्थिति को भारी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रकरण में सह-आरोपीगण से अनुसंधान किया जाना शेष है तथा प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान की प्रारम्भिक अवस्था में है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में ऐसे तत्व मौजूद हैं, जिनके आधार पर यदि प्रार्थी/अभियुक्तगण को इस स्टेज पर जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके द्वारा प्रकरण के महत्त्वपूर्ण गवाहों को डराने-धमकाने, साक्ष्य को छिपाने तथा अनुसंधान को प्रभावित किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है, जिससे हस्तगत प्रकरण में स्वच्छ विचारण नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में, हस्तगत प्रकरण में विशिष्ट परिस्थितियां विद्यमान हैं। लिहाजा, प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की

गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी व राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं पाती है।

11. परिणामत: प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेश चन्द शर्मा, आयु 28 साल, निवासी दाहिना गांव, थाना गहनोली मोड़, हाल जी-21, यूडीवी अपार्टमेंट, शिवदासपुरा, जयपुर (राज.) तथा मुकुल पुत्र देवेन्द्र, आयु 32 साल, निवासी रनधीरगढ़, थाना भुसावर, जिला भरतपुर (राज.) की ओर से प्रस्तुत पृथक्- पृथक् जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किए जाते हैं।

12. इस आदेश में की गई किसी टिप्पणी का प्रकरण के गुणावगुण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(केशव कौशिक)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 01.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(केशव कौशिक)
सेशन न्यायाधीश
भरतपुर